प्रेस विज्ञप्ति
17.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17(1) के अंतर्गत 16.06.2026 को मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स एवं अन्य से संबंधित पॉन्ज़ी योजना प्रकरण में चल रही धन शोधन जांच के संबंध में तमिलनाडु के चेन्नई, इरोड, कोयम्बटूर तथा कृष्णागिरि जिलों में स्थित आठ व्यावसायिक एवं आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया।

ईडी ने यह जांच तमिलनाडु पुलिस तथा कर्नाटक पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर प्रारंभ की थी।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि एस. नवीन कुमार ने अपने सहयोगियों श्रीमती जीवलता, के. प्रभु, के. मथन कुमार, मुथुसेल्वम, जे. फ्रैंकलिन तथा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स के नाम पर एक पॉन्ज़ी योजना संचालित की थी। इस योजना के तहत सैकड़ों निवेशकों को प्याज, आलू तथा अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात व्यवसाय में निवेश कराने के बहाने ठगा गया। निवेशकों को विभिन्न कपटपूर्ण योजनाओं का प्रलोभन दिया गया, जिनमें अल्प अवधि के भीतर 200 प्रतिशत से अधिक प्रतिफल (रिटर्न) देने का वादा किया गया था। इसके अतिरिक्त, निवेशकों को अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों से निवेश कराने पर कमीशन देने का लालच देकर भी निवेश हेतु प्रेरित किया गया।

जांच के दौरान आगे यह भी पता चला कि आरोपियों द्वारा अनेक संस्थाएं स्थापित की गई थीं, जिनमें मेसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स, मेसर्स ईस्ट वैली एग्रो फार्म्स, मेसर्स यूनिक रबर इंडस्ट्रीज़, मेसर्स यूनिक इंटरनेशनल ग्रुप, मेसर्स सारा एक्सपोर्ट्स, मेसर्स इंडो रशियन रेयर अर्थ मेटल्स तथा मेसर्स इंडो रशियन बिजनेस एसोसिएट्स शामिल हैं। इन संस्थाओं का उपयोग निवेशकों से धन प्राप्त करने हेतु बैंक खाते खोलने तथा धनराशि के विभिन्न स्तरों पर स्थानांतरण (लेयरिंग) करने के लिए किया गया। जांच में यह भी उजागर हुआ कि आम जनता से धोखाधड़ीपूर्वक लगभग 400 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे तथा अपराध से अर्जित आय को अचल संपत्तियों में निवेश, सावधि जमा, विदेशी लेन-देन तथा सहयोगियों एवं संबंधित संस्थाओं को धन हस्तांतरण के माध्यम से इधर-उधर कर दिया गया था।

तलाशी कार्रवाई के दौरान लैपटॉप, पेन ड्राइव तथा मोबाइल फोन जैसे डिजिटल उपकरण बरामद कर जब्त किए गए। पॉन्ज़ी योजना तथा अचल संपत्तियों में किए गए निवेश से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद कर जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, तलाशी अभियान के दौरान दो लग्ज़री वाहनों को भी जब्त किया गया।

मामले में आगे की जांच जारी है।

TN14AD3369

TN 18 AW 6166